संख्या-967/2026/1105/22-2-2024-17(736)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनीराम विश्वकर्मा पुत्र वंशी विश्वकर्मा, निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-20261/प्रो0-7/05/सीमित/एम-28.06.2024, दिनांक 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनीराम विश्वकर्मा पुत्र वंशी विश्वकर्मा, जो कस्बा व थाना-नाराहट, जनपद-ललितपुर का निवासी है। दिनांक 04-08-2014 को वादी अपने परिवार के साथ खेत पर काम कर रहा था। उसी समय 11-00 बजे बन्दी अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की पुत्री 16 वर्ष को बहला फुसलाकर टैक्सी में ले गये। लडकी तलाश करने के उपरान्त लडकी नहीं मिली। पुलिस विवेचना के दौरान विवेचक ने अभियुक्त की निशानदेही पर लडकी को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34ए/2015 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366 व 04 पॉक्सो एक्ट में मा० अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), ललितपुर के आदेश दिनांक 02.08.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की जेल अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 10 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 विन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के युवावस्था होने के कारण जेल से छूटने पर पुन: अपराध में लिप्त होने एवं बन्दी के कारागार में निरूद्ध रहने से सुधार होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 04.08.2014 को वादी बब्बू अपने परिवार के साथ खेत पर काम कर रहा था उसी समय 11.00 बजे बंदी अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की पुत्री आयु 16 वर्ष को बहला फुसलाकर टैक्सी में से गये। लड़की की तलाश करने के उपरान्त लड़की नहीं मिली। पुलिस विवेचना के दौरान विवेचक ने अभियुक्त की निशानदेही पर लड़की को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के युवावस्था होने के कारण जेल से छूटने पर पुनः अपराध में लिप्त होने एवं बन्दी के कारागार में निरुद्ध रहने से सुधार होने की पूर्ण सम्भावना होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धनीराम विश्वकर्मा पुत्र वंशी विश्वकर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनीराम विश्वकर्मा (बन्दी संख्या-18105) पुत्र श्री वंशी विश्वकर्मा, निवासी जनपद-ललितपुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-967/2026/1105(1)/22-2-2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-967/2026/1105/22-2-2024-17(736)/2025

दिनांकः 17 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनीराम विश्वकर्मा पुत्र वंशी विश्वकर्मा, जो कस्बा व थाना-नाराहट, जनपद-ललितपुर का निवासी है। दिनांक 04-08-2014 को वादी अपने परिवार के साथ खेत पर काम कर रहा था। उसी समय 11-00 बजे बन्दी अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की पुत्री 16 वर्ष को बहला फुसलाकर टैक्सी में ले गये। लडकी तलाश करने के उपरान्त लडकी नहीं मिली। पुलिस विवेचना के दौरान विवेचक ने अभियुक्त की निशानदेही पर लडकी को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34ए/2015 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366 व 04 पॉक्सो एक्ट में मा० अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), ललितपुर के आदेश दिनांक 02.08.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की जेल अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 10 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 विन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के युवावस्था होने के कारण जेल से छूटने पर पुन: अपराध में लिप्त होने एवं बन्दी के कारागार में निरूद्ध रहने से सुधार होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 04.08.2014 को वादी बब्बू अपने परिवार के साथ खेत पर काम कर रहा था उसी समय 11.00 बजे बंदी अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की पुत्री आयु 16 वर्ष को बहला फुसलाकर टैक्सी में से गये। लड़की की तलाश करने के उपरान्त लड़की नहीं मिली। पुलिस विवेचना के दौरान विवेचक ने अभियुक्त की निशानदेही पर लड़की को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के युवावस्था होने के कारण जेल से छूटने पर पुनः अपराध में लिप्त होने एवं बन्दी के कारागार में निरुद्ध रहने से सुधार होने की पूर्ण सम्भावना होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धनीराम विश्वकर्मा पुत्र वंशी विश्वकर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in